



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 16 अप्रैल, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी अरविन्द पुत्र श्री रामनरेश, निवासी जनपद-मैनपुरी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र सं0-35274/प्र0-3-फार्म-ए/(एम-25.08.2025) दिनांक-08.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी अरविन्द पुत्र श्री रामनरेश, नगला बाँध थाना-किशनी, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 19.08.2001 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 01 व्यक्ति को घायल किया।, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-128/2002 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302, 452 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-06, मैनपुरी के आदेश दिनांक-29.11.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अपील लम्बित है, बन्दी द्वारा दिनांक 27.12.2023 तक अपरिहार 18 वर्ष, 03 माह, 04 दिन तथा 22 वर्ष, 10 माह, 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे० 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य एवं समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। बन्दी का यह कृत्य घोर निर्दनीय अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में जुर्म करने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 19.08.2001 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 01 व्यक्ति को घायल किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत ब्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अरविन्द पुत्र रामनरेश को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी अरविन्द (बन्दी संख्या-26912) पुत्र श्री रामनरेश, निवासी जनपद- मैनपुरी के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-402/2026/1913(1)/22-2-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
- 3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

दिनांक 16 अप्रैल, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अरविन्द पुत्र श्री रामनरेश, नगला बाँध थाना-किशनी, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 19.08.2001 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 01 व्यक्ति को घायल किया।, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-128/2002 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302, 452 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-06, मैनपुरी के आदेश दिनांक-29.11.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अपील लम्बित है, बन्दी द्वारा दिनांक 27.12.2023 तक अपरिहार 18 वर्ष, 03 माह, 04 दिन तथा 22 वर्ष, 10 माह, 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल० जे० 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य एवं समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। बन्दी का यह कृत्य घोर निंदनीय अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में जुर्म करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 19.08.2001 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 01 व्यक्ति को घायल किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत ब्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अरविन्द पुत्र रामनरेश को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।